बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

आदेश

संख्या : वन भूमि–30 / 2025..... / प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक.....

पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत NH-139W अरेराज–बेतिया (0.000–41.882 कि०मी०) चार लेन ग्रीनफील्ड में पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के तहत 0.48 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक–FP/BR/Road/422000/2023, दिनांक–21.08.2025 द्वारा सशर्त्त सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-I) प्रदान की गयी है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के द्वारा परिवेश पोर्टल के माध्यम से स्टेज–1 में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन समर्पित करने के उपरांत विभागीय पत्रांक–2797, दिनांक–22.05.2026 द्वारा उक्त अनुपालन प्रतिवेदन को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची को भेजते हुए अंतिम स्वीकृति का अनुरोध किया गया।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक– FP/BR/Road/422000/2023, दिनांक–09.06.2026 द्वारा पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत NH-139W अरेराज–बेतिया (0.000–41.882 कि०मी०) चार लेन ग्रीनफील्ड में पथ निर्माण वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के तहत 0.48 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित शर्त्तों के साथ प्रदान की गई है :–

1. Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation: The State Forest Department shall plant 360 numbers of trees to maintain the green cover at the project cost. Planting site for the purpose shall be identified by the State Forest Department preferably in the vicinity of the project site. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The User Agency shall ensure proper disposal of all muck/waste generated during the project.
4. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by the way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
5. User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision and permission of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. Further, in view of the State Government's recommendation, such number of trees whose removal is unavoidable, and whose translocation (species, number and girth to be decided by SFD) is practicable, will be translocated to the extent possible at the cost of user agency.
6. Transplantation plan be meticulously designed with identified land for replanting of saplings/ trees. Also, monitoring mechanism towards survival of such trees should be in

place. The User Agency shall keep a record of survival of translocated trees and submit annual report to Forest Department pertaining to it.

7. Modern technology shall be used to translocate to the extent possible only those trees which are unavoidable and needs to be removed so that minimum numbers of trees are felled.
8. The State Forest Department shall raise Strip Plantation on both sides of the road as per the IRC norms.
9. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on the ground at the project cost, as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer.
10. Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake appropriate afforestation or vegetation enrichment measures near the site(s) related to the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.
11. The project proponent should avoid planting fruit/ flower bearing plants at the median that may attract birds and butterflies (to avert their collision with moving vehicles).
12. Earth or any other material shall not be brought from and debris resulting during construction shall not be disposed of in the adjoining forest area by the user agency.
13. User Agency shall provide unrestricted movement of vehicles of forest department on the entire stretch of the road by way of toll exemption through issuance of an order to the effect. Such exemption shall be prominently displayed at all the toll gates.
14. The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activities do not damage the nearby forest flora and fauna.
15. The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.
16. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.
17. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life/ requirement.
19. The diverted forest land shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Ministry of Environment, Forest & Climate Change.
20. The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any, for the time in force, as applicable to the project.
21. Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken accordingly.
22. Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests and wildlife.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP(C) संख्या–1164/2023, अशोक कुमार शर्मा एवं भारत संघ एवं अन्य में दिनांक–03.02.2025 एवं 04.03.2025 को पारित आदेश एवं भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में विभागीय पत्रांक–1748, दिनांक–25.03.2026 एवं विभागीय पत्रांक–2105, दिनांक–16.04.2026 के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वचनबद्धता/शपथ–पत्र उपलब्ध कराया गया है।

तद्आलोक में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक– FP/BR/Road/422000/2023, दिनांक–09.06.2026 द्वारा निर्गत अंतिम स्वीकृति (Stge-II) के आलोक में पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत NH-139W अरेराज–बेतिया (0.000–41.882 कि०मी०) चार लेन (ग्रीनफील्ड) पथ निर्माण वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के तहत 0.48 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में प्रदत्त अनुमति में निहित शर्त्तों के अतिरिक्त निम्नांकित अन्य शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. प्रयोक्ता एजेंसी को अंतिम स्वीकृति के पत्र को समेकित रूप से स्थानीय समाचार पत्र (एक अंग्रेजी एवं एक हिन्दी) में अक्षरशः प्रकाशित कराना होगा।
2. प्रयोक्ता एजेंसी, अंतिम स्वीकृति आदेश की एक प्रति स्थानीय निकाय प्रधान को उनके कार्यालय पट्ट पर 30 दिनों के लिए प्रदर्शनार्थ सौपना होगा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेतिया द्वारा अपयोजित होने वाले उक्त 0.48 हे० वन भूमि को NH-139W अरेराज–बेतिया (0.000–41.828 कि०मी०) चार लेन (ग्रीनफील्ड) हेतु अंतिम रूप से विमुक्त करते हुए इसे अभिलेख में दर्ज किया जायेगा तथा इसका सीमांकन कराया जायेगा। तत्संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सरकार एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

उपर्युक्त अंकित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने की स्थिति में या अपयोजित होने वाली वन भूमि पर अन्य गैर वानिकी कार्य किए जाने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को यह अधिकार होगा कि वन भूमि पर किए जाने वाले अन्य गैर वानिकी कार्य को तत्काल बंद कराते हुए वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 के तहत कानूनी कार्रवाई के उपरांत वन भूमि अपयोजन का यह आदेश रद्द करते हुए/वापस लेते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचित करे।

ह०/–
(राजीव कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–30/2025-3911/प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 08/7/26

प्रतिलिपि :–सहायक वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, FC डिविजन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली–110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची–834002/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना/वन संरक्षक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, बेतिया अंचल बेतिया/जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेतिया को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची से प्राप्त अंतिम स्वीकृति पत्र के साथ सूचनार्थ, कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शनार्थ (30 दिनों तक) प्रेषित।

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन ईकाइ, मोतिहारी को सूचनार्थ तथा उपरोक्त शर्त्तों के अनुरूप कार्यार्थ प्रेषित।

संबंधित सहायक, गार्ड फाइल में संधारण/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08.7.2026
(राजीव कुमार)
सरकार के उप सचिव